

**राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग**

क्रमांक: प.22(4)न्याय / 2015

जयपुर, दिनांक

:: संशोधित आदेश ::

विधि सेवा संवर्ग एवं विधि रचना सेवा संवर्ग के अधिकारियों द्वारा वर्ष 2025-26 में अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने पर सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति हेतु इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आज्ञा दिनांक 27.02.2025 में संयुक्त विधि परामर्शी के पद की तालिका में अंकित क्रम संख्या-4 के कॉलम संख्या 3 में उल्लेखित दिनांक 30.01.1966 के स्थान पर दिनांक 31.01.1966 पढ़ा जावे।

आज्ञा से,

**(अंकित रमन)
संयुक्त शासन सचिव**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संबंधित कर्मचारी/अधिकारी।
3. संबंधित विभाग/रक्षित पत्रावली

संयुक्त शासन सचिव